# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा ( जिला दौसा )

| | | |
|---|---|---|
| पीठासीन अधिकारी का नाम | : | मूलचन्द लूणिया, (आर०ए०एस०) |
| प्रकरण संख्या | : | 62/2022 |
| दायर दिनांक | : | 21.11.2022 |
| निर्णय दिनांक | : | 28.05.2025 |

1. कंचनलाल पुत्र स्व० कल्याण जाति बैरवा, निवासी जौपाडा तहसील दौसा जिला दौसा
2. कमली पुत्री स्व० कल्याण पत्नी रामफूल जाति बैरवा, निवासी जौपाडा तहसील दौसा हाल निवासी ग्राम धर्मपुरा तहसील दौसा जिला दौसा
3. कस्तूरी पुत्री स्व० कल्याण पत्नी किशनलाल जाति बैरवा, निवासी ग्राम जौपाडा हाल निवासी लांका तहसील सिकराय

प्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा

**बनाम**

1. बसन्तीलाल पुत्र सोहनलाल जाति बैरवा, निवासी ग्राम जौपाडा तहसील दौसा जिला दौसा
2. हजारीलाल पुत्र सोहनलाल जाति बैरवा, निवासी ग्राम जौपाडा तहसील दौसा जिला दौसा
3. बनवारीलाल पुत्र गोपाल जाति बैरवा, निवासी ग्राम जौपाडा तहसील दौसा जिला दौसा
4. गिरधारी पुत्र गोपाल जाति बैरवा, निवासी ग्राम जौपाडा तहसील दौसा जिला दौसा
5. रामकिशोर पुत्र रमेश जाति बैरवा, निवासी ग्राम जौपाडा तहसील दौसा जिला दौसा
6. राधेश्याम पुत्र रमेश जाति बैरवा, निवासी ग्राम जौपाडा तहसील दौसा जिला दौसा
7. महेन्द्र पुत्र रमेश जाति बैरवा, निवासी ग्राम जौपाडा तहसील दौसा जिला दौसा
8. कालुराम पुत्र रामलाल जाति बैरवा, निवासी ग्राम जौपाडा तहसील दौसा जिला दौसा
9. राजू पुत्र रामलाल जाति बैरवा, निवासी ग्राम जौपाडा तहसील दौसा जिला दौसा
10. सीताराम पुत्र रामलाल जाति बैरवा, निवासी ग्राम जौपाडा तहसील दौसा जिला दौसा
11. मुकेश पुत्र रामलाल जाति बैरवा, निवासी ग्राम जौपाडा तहसील दौसा जिला दौसा
12. विनोद पुत्र रामलाल जाति बैरवा, निवासी ग्राम जौपाडा तहसील दौसा जिला दौसा
13. बीरबल पुत्र गोपाल जाति गुर्जर, निवासी ग्राम जौपाडा तहसील दौसा जिला दौसा
14. जगदीश पुत्र रामधन जाति गुर्जर, निवासी ग्राम जौपाडा तहसील दौसा जिला दौसा
15. किंशनलाल पुत्र गोपाल जाति गुर्जर, निवासी ग्राम जौपाडा तहसील दौसा जिला दौसा
16. प्रभातीलाल पुत्र गोपाल जाति गुर्जर, निवासी ग्राम जौपाडा तहसील दौसा जिला दौसा
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा
18. तहसीलदार दौसा

अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 17:42:39 IST
Reason: SelfAttested

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज० भू-राजस्व अधिनियम 1956**

**:- निर्णय :-**

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज० भू-राजस्व अधिनियम 1956 पेश कर निवेदन किया कि आराजी खसरा

नम्बर 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67 कुल किता 9 कुल रकबा 1.95 है. वाके ग्राम जौपाडा तहसील दौसा जिला दौसा में स्थित है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण उक्त वर्णित आराजी के खातेदार काबिज काश्तकार दर्ज हैं तथा मौके पर प्रार्थीगण काबिज होकर लाभान्वित होते चले आ रहे हैं। उक्त आराजीयात से लगती हुई अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 16 की भूमि स्थित है, जो कि प्रार्थीगण से सीमा विवाद कर प्रार्थीगण की उक्त वर्णित खातेदारी व कब्जे की भूमि को दबाना चाहते हैं। दिनांक 10.11.2022 को अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 16 प्रार्थीगण की उक्त आराजी में जबरन घुस गये व प्रार्थीगण की उक्त वर्णित खातेदारी आराजी के कुछ भाग को जबरन दबाकर डोल बनाने का प्रयास किया, इस पर प्रार्थीगण ने तुरन्त मौके पर पहुँचकर उन्हे समझाकर बडी मुश्किल से रोका। यदि अविलम्ब ही प्रार्थीगण की उक्त आराजी का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी नहीं करवायी गयी तो मौके पर शान्ति भंग होकर भारी झगडे की स्थिति उत्पन्न हो जावेगी। तहसीलदार दौसा ने दिनांक 10.10.2022 को पटवारी को मौके पर भेजकर सीमाज्ञान करवा दिया है किन्तु अप्रार्थीगण उक्त सीमाज्ञान को नहीं मान रहे हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर तहसीलदार दौसा को आदेश फरमावें कि आराजी खसरा नम्बर 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67 कुल किता 9 कुल रकबा 1.95 है. वाके ग्राम जौपाडा तहसील दौसा एवं प्रार्थीगण के पडौसी खातेदारान अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 16 की खातेदारी भूमि का मौके पर मय टीम गठित कर सीमाज्ञान करवाया जाकर पत्थरगढी कर सीमाएँ कायम फरमाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गयी। अप्रार्थी संख्या 13 लगायत 16 की ओर से अधिवक्ता श्री विनोद कुमार विजय द्वारा पावर पेश किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 12 के विरुद्ध बावजूद तामील न्यायालय में उपस्थित न होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

उपस्थित अप्रार्थीगण से जवाब तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 13 लगायत 16 ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रश्नगत आराजी के एक भी इंच भू भाग पर मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा नहीं है बल्कि प्रश्नगत आराजी के मौके पर अप्रार्थी संख्या 13 लगायत 16 का कब्जा है। प्रश्नगत आराजी का प्रार्थीगण के बुजुर्ग कल्याण के नाम गलत इन्द्राज कर रखा है। उक्त भूमि के साबिक खसरा नम्बर 5 में से जरूर 7 बीघा 3 बिस्वा का आवंटन कल्याण पुत्र जेल्या को दिखा रखा है लेकिन कल्याण पुत्र जेल्या को उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं संभलाया है। प्रार्थीगण बैरवा जाति के व्यक्ति हैं तथा अप्रार्थी संख्या 13 लगायत 16 गुर्जर जाति के हैं। प्रार्थीगण आये दिन अप्रार्थीगण को छुआछूत का झूठा मुकदमा दर्ज करवाने की धमकी देते रहते हैं। मौके पर आकर कोई सीमाज्ञान नहीं किया गया है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाने की कृपा करें। अप्रार्थी तहसीलदार दौसा ने जवाब पेश कर कथन किया कि प्रश्नगत आराजी प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रश्नगत आराजी का पूर्व में सीमाज्ञान किया जा चुका है। प्रश्नगत आराजी मौके पर खाली है तथा किसी न्यायालय का स्थगन नहीं हैं। पडौसी खातेदारों को सुना जाकर पत्थरगढी आदेश किया जाना उचित है।

प्रकरण में बहस उभय पक्ष सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण प्रश्नगत [illegible] की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। अप्रार्थी संख्या 13 लगायत 16 का कथन है कि प्रश्नगत आराजी के मौके पर अप्रार्थी संख्या 13 लगायत 16 का कब्जा है। प्रश्नगत आराजी का प्रार्थीगण के बुजुर्ग कल्याण के नाम गलत इन्द्राज कर रखा है। किन्तु तहसीलदार दौसा ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रश्नगत आराजी प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रश्नगत आराजी का पूर्व में सीमाज्ञान किया जा चुका है। प्रश्नगत आराजी मौके पर खाली है तथा किसी न्यायालय का स्थगन नहीं है। चूँकि प्रश्नगत आराजी प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है एवं प्रश्नगत

उपखण्ड अधिकारी दौसा (राज.)
Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 17:42:39 IST
Reason: SelfAttested

आराजी पर किसी न्यायालय का स्थगन नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार दौसा को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम जौपाडा तहसील दौसा स्थित आराजी खसरा नम्बर 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67 कुल किता 9 कुल रकबा 1.95 है. का अनुभवी पटवारियों/भू–अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवायी जावे। प्रार्थीगण से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे। पत्थरगढी से पूर्व तहसीलदार उक्त भूमि के समीपवर्ती काश्तकारों को प्रार्थीगण के खर्चे पर लिखित में सूचना देगा। उक्त आदेश केवल पत्थरगढी का है, जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नहीं सम्भलाया जावे। अगर पुलिस जाब्ते की जरूरत हो, तो पुलिस से समन्वय कर पुलिस/होमगार्ड इमदाद प्राप्त की जावे। तहसीलदार दौसा को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा बाद मेरे हस्ताक्षर न्यायालय की मोहर से जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी ★ उपखण्ड मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा

( मूलचन्द लूणिया )
उपखण्ड अधिकारी, दौसा
उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 17:42:39 IST
Reason: SelfAttested